

19-5-23 वादी द्वारा प्रशावली तलब कर दावा विंडा कैसे बाबत
रूप नं. 14
प्रार्थना-पत्र पेश करने पर प्रशावली तलब की गयी।
वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादी उक्त
दावे को आगे चलाना नहीं चाहता है, जिस पर



From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

..... नन्दा बनाम गौगा

किस्म मुकदमा :- 53, 188A-T.Aet

नंबर 30 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>वादी को सुना गया। वादी स्वयं उपण वादी की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। चूंकि वादी उक्त वाद को और चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर को कम हो।</p> <p style="text-align: right;">19.5.22 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>नन्दा पट्टनायक Am. No</p>